विमानन संरक्षा निदेशालय

फ़ाइल संख्या: भाविप्रा/13-47/2023/वि.सं./43 दिनांक : 14.03.2024

विमानन संरक्षा परामर्श परिपत्र संख्या 01/2024

विषय: विमानन संरक्षा परिपत्रों और विमानन संरक्षा परामर्श परिपत्रों की वर्तमान जांच-सूची

1. परिचय:

नागर विमानन महानिदेशालय नागर विमानन अपेक्षाए (सीएआर), नागर विमानन महानिदेशालय परिपत्रों और अन्य विनियामक अपेक्षाओ के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन, प्रक्रियाएँ और कार्यप्रणालियाँ स्थापित करने के उद्देश्य से विमानन संरक्षा निदेशालय द्वारा विमानन संरक्षा परिपत्र और विमानन संरक्षा परामर्श परिपत्र जारी किए जाते है।

विमानन संरक्षा परिपत्र और विमानन संरक्षा परामर्श परिपत्र तब रद्द कर दिए ज़ाते है जब परिपत्र की विषय वस्तु को या तो सी - एसएमएस मैनुअल में शामिल किया गया हो या संबन्धित विमानन संरक्षा परिपत्रों और विमानन संरक्षा परामर्श परिपत्रों द्वारा इन्हें निष्प्रभावित कर दिया गया हो या निर्देशों के अप्रचलित होने जैसे किन्हीं अन्य कारणों से रद्द कर दिया गया हो।

2. उद्देश्य:

इस परिपत्र का उद्देश्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाईअड्डो / सिविल एंक्लेवों और विमान द्विकचालन सेवा (एएनएस) इकाइयों में कार्यरत सभी भाविप्रा कर्मियों को विमानन संरक्षा निदेशालय से संबन्धित परिपत्रों की वर्तमान जांच - सूची प्रदान करता है ।

3. कर्यक्षेत्र :

इस परामर्श परिपत्र की विषय - वस्तु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाईअड्डो और विमान द्विकचालन सेवा (एएनएस) इकाइयों में कार्यरत भाविप्रा के सभी कर्मियों पर लागू होती है। वर्तमान जांच - सूची अनुबंध "क" के रूप में संलग्न है।

4. संदर्भ:

सी - एसएमएस मैनुअल अंक संख्या 4 संशोधन 0 (प्रभावी तिथि 15 जनवरी 2024)

....2

5. <u>संगठनात्मक आवश्यकताएं</u>:
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाईअड्डो में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक संरक्षा संबंधी परिपत्रों/दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और विमान द्विकवालन का प्रावधान ।

विमानन संरक्षा परिपत्र और विमानन संरक्षा परामर्श भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वैबसाइट (www.aai.aero/login - employee - aviation safety - circular) पर उपलब्ध है।

6. <u>स्पष्टीकरण</u>:
इस परिपत्र से संबन्धित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए ई - मेल के माध्यम से कार्यपालक निदेशक (विमानन संरक्षा) से edas@aai.aero पर या डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर अनुरोध किया जा सकता है:

कार्यपालक निदेशक
विमानन संरक्षा निदेशालय
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कमरा ए- 222, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली- 110003

7. <u>वैधता</u>: यह विमानन संरक्षा परामर्श परिपत्र 01/2024 विमानन संरक्षा परामर्श परिपत्र 01/2023 को निष्प्रभावित करता है और यह अगली सूचना तक लागू रहेगा।

(अनिल कुमार मीना)
कार्यपालक निदेशक (विमानन संरक्षा)

वितरण: <u>मानक सूची के अनुसार</u>

अनुलग्न - क

वर्तमान विमानन संरक्षा और विमानन संरक्षा परामर्श परिपत्रों की सूची

संशोधित सी-एसएमएस मैनुअल अंक संख्या 4 संशोधन 0 में 28 दिसंबर 2023 तक जारी किए गए सभी प्रासंगिक विमानन सुरक्षा परिपत्र और विमानन सुरक्षा सलाहकार परिपत्र शामिल कर लिए गए हैं।